मि०न० 70/2021
उनवान बंशीलाल/इकबाल

28/8/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। वकील अपीलाण्ट ने जाहिर किया है कि अपील विषयक आराजी के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 3.12.2021 से स्थगन आदेश जारी हो रहा है। प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने से इस अपील में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से अन्तिम आदेश पारित होने पर ही कार्यवाही किया जाना संभव है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अतः न्यायहित में पत्रावली को मौजूदा स्थिति में दाखिल दफत्तर किया जाना विधि संगत है। अतः पत्रावली को मौजूदा स्थिति में दाखिल दफत्तर किया जाता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से प्रकरण का निर्णय होने पर अपील के पक्षकारान को पत्रावली पुनः न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड आदेश की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफत्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा